



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in



स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 06/2021
दिनांक 17-06-2021

विषय :- स्थापना - विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) में केन्द्रीय कर निरीक्षक संवर्ग में तैनाती के संबंध में ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और विकास आयुक्त, वीएसईजेड के परामर्श से, यथा निर्देशित त, केन्द्रीय कर निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी को, विशाखापटनम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में संवर्ग पदों के विरुद्ध विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तैनाती के लिए, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापटनम के नियंत्रण में रखा गया है :-

क्रमांक	अधि कारी का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन
1	आर. भरत कुमार	तिरूपति जीएसटी

2. बोर्ड के पत्र फा.सं.ए/35017/39/2008-एडी.॥ दिनांक 27.03.2009 के अनुसार, उपरोक्त अधिकारियों को विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) के नियंत्रण में उनके द्वारा विकास आयुक्त, वीएसईजेड के समक्ष रिपोर्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए रखा गया है । 2 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा होने पर एसईजेड में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल का विस्तार विकास आयुक्त की सिफारिश और प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, विशाखापटनम जोन के अनुमोदन की शर्त पर है।

3. अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए ताकि वह विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापटनम को रिपोर्ट कर सके। अधिकारी को कार्यमुक्त करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट संबंधित आयुक्तालय द्वारा 30.06.2021 तक सकारात्मक रूप से भेजी जाए ।

4. अधिकारी अपने संबंधित प्रभारों/अनुभागों के लंबित मामलों के लिखित विवरण के साथ कार्यमुक्त करने वाले अधिकारियों को उचित रूप से प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे और जीएफआर-33 की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ।

5. इसे प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, विशाखापटनम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
(वाई भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त

[फाइल सं. जीसीसीओ/11/(3)/38/2021-स्था. सीसी-सीजीएसटी-जोन-विशाखापटनम से जारी]

सेवा में
संबंधित व्यक्ति को (आयुक्तालयों के माध्यम से) ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर, तिरुपति ।

2. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधि कारी,तिरुपति आयुक्तालय ।
3. वे एवं ले. अधि कारी, तिरुपति ।
4. वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।